

- बाल श्रम का प्रभावी उन्मूलन:
 - **ILO कन्वेंशन संख्या 138** (कार्य या रोजगार में संलग्नता हेतु न्यूनतम आयु) और **कन्वेंशन संख्या 182** (बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों का उन्मूलन) कार्य हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह अनिवार्य स्कूली शिक्षा के लिये निर्धारित आयु से कम नहीं है तथा किसी भी मामले में **15 वर्ष से कम नहीं है** ।
 - इसे नमिनलखिति कन्वेंशन द्वारा लागू किया जाता है:
 - न्यूनतम आयु कन्वेंशन (सं. 138), 1973
 - बाल श्रम के सबसे बुरे स्वरूप पर कन्वेंशन (सं. 182), 1999
- रोजगार और व्यवसाय के संबंध में भेदभाव का उन्मूलन:
 - जाति, रंग, लिंग, धर्म, राजनीतिक मत, राष्ट्रीय नृशिक्षण या सामाजिक मूल के आधार पर बहिष्कार या वरीयता नहीं दी जानी चाहिये ।
 - इसमें समान महत्त्व के कार्य के लिये पुरुष और महिला श्रमिकों के लिये समान पारिश्रमिक का प्रावधान होना चाहिये ।
 - इसे नमिनलखिति कन्वेंशन द्वारा लागू किया जाता है:
 - समान पारिश्रमिक कन्वेंशन (सं. 100), 1951
 - भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) कन्वेंशन (सं. 111), 1958
- सुरक्षा एवं स्वस्थ कार्य परविश:
 - **ILO कन्वेंशन संख्या 155 का उद्देश्य कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर अंकुश लगाना है, जबकि कन्वेंशन संख्या 187 चोटों, बीमारियों और मौतों को रोकने के लिये व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में नरितर सुधार को अनिवार्य बनाता है ।**
 - इसे नमिनलखिति कन्वेंशन द्वारा लागू किया जाता है:
 - व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन (सं. 155), 1981
 - व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन के लिये प्रचारात्मक रूपरेखा (सं. 187), 2006.
- भारत के लिये FPRW की आवश्यकता:
 - व्यापार में नॉन-टैरिफि बाधा: भारत से कपास और हाइब्रिड/संकर कपास के बीज अमेरिकी श्रम वभिग की **बाल श्रम या बलात् श्रम द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सूची** में बने हुए हैं । FPRW परियोजना से भारत को व्यापार में इस बाधा को कम करने में मदद मिलेगी ।
 - वैश्विक दायित्व: ILO की FPRW परियोजना सभी ILO सदस्य देशों पर लागू होती है, चाहे उन्होंने इसकी पुष्टि की हो या नहीं । यह ILO के संविधान का अभिन्न अंग है ।
 - चूंकि भारत ILO का सदस्य है, इसलिये इसे FPRW परियोजना का अनुपालन करना आवश्यक है ।
 - स्थायी कार्यबल: कपास उत्पादक समुदाय सभी श्रमिकों के लिये अधिक न्यायसंगत, स्थायी एवं समृद्ध परविश को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे व्यक्तियों तथा परिवारों को दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है ।
 - सामाजिक-आर्थिक उत्थान: यह सहयोग किसानों को उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से वभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा ।
 - लक्षित समुदायों के लिये आउटरीच सर्वसिज़ (पहुँच सेवाएँ), सूचना प्रसार और व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ संपर्क उनकी स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है ।
 - **सतत विकास लक्ष्यों (SDG)** जैसे **SDG 10 (असमानताओं में कमी)** , **SDG 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास)** को प्राप्त करना आवश्यक है ।

श्रम स्थितियों से संबंधित तथ्य और आँकड़े

- विश्व की 40% से अधिक जनसंख्या ऐसे देशों में रहती है, जिनमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर **ILO कन्वेंशन संख्या 87** या सामूहिक सौदेबाज़ी पर **कन्वेंशन संख्या 98 का अनुसमर्थन नहीं किया है** ।
- औसतन महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में **23% कम वेतन दिया जाता है** तथा कई देशों में तो उन्हें कुछ व्यवसायों से भी वंचित रखा जाता है ।
- **5-17 वर्ष की आयु के 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लपित हैं**, उनमें से 72 मिलियन बच्चे जोखिमपूर्ण कार्य और बाल श्रम के अन्य विकृत रूपों में संलग्न हैं, जबकि 80 मिलियन से अधिक बच्चों की आयु काम करने की न्यूनतम आयु से कम है तथा काम करने के लिये वे बहुत ही छोटे हैं ।
- **25 मिलियन लोग बलात् श्रम के शिकार हैं**, जिनमें से **25% बच्चे हैं** ।
- कम-से-कम **15 मिलियन लोग** जिनमें मुख्यतः महिलाएँ और लड़कियाँ शामिल हैं, **ज़बरन वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं**, जो कबिलात् श्रम के समान हो सकता है ।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

- **अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** की स्थापना वर्ष 1919 में वर्साय की संधि के तहत की गई थी ।
- यह 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को श्रम मानकों को स्थापित करने, नीतियों बनाने तथा ऐसे कार्यक्रम बनाने के लिये एकजुट करता है, जो सभी पुरुषों व महिलाओं के लिये सभ्य/गरमिपूर्ण कार्य को बढ़ावा देते हैं ।
- यह वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली संबद्ध वशिष एजेंसी बना ।
 - इसका मुख्यालय **जनिवा, स्वटिज़रलैंड** में है ।
- इसका संस्थापक मशिन है- **“सार्वभौमिक और स्थायी शांति के लिये सामाजिक न्याय आवश्यक है”** (social justice is essential to universal and lasting peace) ।
- वभिन्न वर्गों के बीच शांति स्थापित करने, श्रमिकों के लिये सभ्य कार्य और न्याय सुनिश्चित करने तथा अन्य विकासशील देशों को तकनीकी

संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियाँ- UNSAs

UNSAs संयुक्त राष्ट्र के साथ कार्य करने वाले 15 स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)



एकमात्र त्रिपक्षीय संगठन (सरकार, ट्रेड यूनियन, नियोक्ता)
तथा पहला संबद्ध UNSA

- स्थापना- वर्ष 1919 (वर्साय की संधि)
- मुख्यालय- जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- कार्य-
 - » श्रम मानकों का निर्धारण
 - » सभी के लिये गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देने हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का विकास
- सदस्य राष्ट्र- 187 (भारत एक संस्थापक सदस्य + ILO के शासी निकाय का स्थायी सदस्य)

■ अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन-

- » यह प्रतिवर्ष जेनेवा में आयोजित किया जाता है।
- » इसे प्रायः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के रूप में संदर्भित किया जाता है।

■ कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों पर ILO का घोषणापत्र 1998

■ (सिद्धांत) -

- » संघ की स्वतंत्रता एवं सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार
- » बलात् श्रम या अनिवार्य श्रम का उन्मूलन
- » बाल श्रम का उन्मूलन
- » रोजगार एवं व्यवसाय संबंधी भेदभाव का उन्मूलन



विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

WHO 7 अप्रैल, 1948 को कार्यात्मक हुआ
(जिसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है)

- स्थापना- वर्ष 1948
- मुख्यालय- जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- कार्य-
 - » वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करना
 - » स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी कार्यसूची को आकार देना
 - » स्वास्थ्य प्रवृत्तियों की निगरानी एवं आकलन
- सदस्य राष्ट्र- 194 भारत सहित

दक्षिण पूर्व एशिया के लिये WHO का क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली में स्थित है

- विश्व स्वास्थ्य सभा- WHO का निर्णयन निकाय, सभा का वार्षिक आयोजन जिनेवा में
- प्रमुख पहलें -
 - » संयुक्त राष्ट्र स्वस्थ वृद्धावस्था दशक (2021-2030)
 - » पोषण पर कार्यवाई का संयुक्त राष्ट्र दशक (2016-2025)
 - » वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली (GLASS)- AMR
 - » डब्ल्यूएचओ 1+1 पहल (2019) (टीबी)

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)



- स्थापना- वर्ष 1865
- मुख्यालय- जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- कार्य-
 - » संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को सुगम बनाना
 - » वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं का आवंटन

- सदस्य राष्ट्र- 193 (भारत वर्ष 1952 से एक नियमित सदस्य)

■ महत्वपूर्ण प्रकाशन-

- » ग्लोबल साइबरसिक्वोरिटी इंडेक्स (GCI)



भारत में बाल श्रम की स्थिति क्या है?

- पूर्व उपलब्ध [जनगणना 2011](#) के अनुसार भारत में 10.1 मिलियन बाल श्रमिक थे।
- [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट, 2022](#) के अनुसार वर्ष 2021 में [बाल श्रम \(प्रतिषिद्ध और वनियमित\) अधिनियम, 1986](#) के तहत लगभग 982 मामले दर्ज किये गए, जिनमें सबसे अधिक मामले तेलंगाना में दर्ज किये गए, इसके बाद असम का स्थान है।

■ बाल श्रम की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा किये गए प्रयास:

- बाल श्रम (प्रतिबंध और वनियमन) अधिनियम, 1986: खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 18 वर्ष से कम उम्र के कशोरों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है।
- फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948: किसी भी खतरनाक वातावरण में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है और कशोरों (14 से 18 वर्ष) के कार्य के घंटों और शर्तों को प्रतिबंधित करता है, जिनमें केवल गैर-खतरनाक प्रक्रियाओं में काम करने की अनुमति है।
- बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति, 1987: इसका उद्देश्य बाल श्रम को प्रतिबंधित और वनियमित करके उसका उन्मूलन करना एवं बच्चों और उनके परिवारों के लिये कल्याण और विकास कार्यक्रम प्रदान करना और कामकाजी बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करना है।
- पेंसिल पोर्टल: इस मंच का उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये बाल श्रम उन्मूलन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ज़िला, नागरिक समाज और जनता को शामिल करना है। इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय का अनुसमर्थन: भारत ने वर्ष 2017 में बाल श्रम पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के दो मुख्य अभिसमय यानी न्यूनतम आयु अभिसमय (वर्ष 1973) संख्या 138 और बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर अभिसमय (1999) संख्या 182 का भी अनुसमर्थन किया है।

नोट:

■ भारत ने कई ILO अभिसमयों का अनुसमर्थन किया है, जैसे:

- बलात् श्रम पर अभिसमय (सं. 29), 1930, वर्ष 1954 में
- समान पारिश्रमिक पर अभिसमय (सं. 100), 1951, वर्ष 1958 में
- भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) पर अभिसमय (सं. 111), 1958, वर्ष 1960 में
- बलात् श्रम के उन्मूलन पर अभिसमय (सं. 105), 1957, वर्ष 2000 में
- न्यूनतम आयु पर अभिसमय (सं. 138), 1973 और बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर अभिसमय (सं. 182), 1999, वर्ष 2017 में।

भारत में कपास की खेती की स्थिति क्या है?

■ परिचय:

- कपास भारत में खेती की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसलों में से एक है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 23% हिस्सा था।
 - यह अनुमानित 6 मिलियन कपास की खेती से संबंधित किसानों और कपास प्रसंस्करण और व्यापार जैसी संबंधित गतिविधियों में लगे 40-50 मिलियन लोगों की आजीविका बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है।
- भारत में इसके आर्थिक महत्त्व के कारण इसे "व्हाइट-गोल्ड" भी कहा जाता है।

■ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य:

- कपास के अंतरगत क्षेत्रफल: वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत कपास की खेती के अंतरगत 130.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ कपास के क्षेत्रफल में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर है, यानी 324.16 लाख हेक्टेयर के विश्व क्षेत्रफल का लगभग 40%।
 - भारत का लगभग 67% कपास वर्षा आधारित क्षेत्रों में और 33% संचित भूमि पर उत्पादित होता है।
- कपास की उपज: उत्पादकता के मामले में भारत 447 किलोग्राम/हेक्टेयर की उपज के साथ 39वें स्थान पर है।
- कपास के प्रकार: भारत एकमात्र ऐसा देश है, जो कपास की सभी चार प्रजातियाँ यानी जी. आर्बोरियम एवं जी. हर्बेशियम (एशियाई कपास), जी. बारबाडेंस (मसिं कपास) और जी. हरिसुटुम (अमेरिकी अपलैंड कपास) का उत्पादन करता है।
 - जी. हरिसुटुम भारत में 90% संकर कपास उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है और सभी मौजूदा बीटी कपास संकर जी. हरिसुटुम प्रजाति की हैं।
- उत्पादन: कपास सत्र 2022-23 के दौरान 343.47 लाख गॉट के अनुमानित उत्पादन के साथ भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, यानी विश्व कपास उत्पादन का 23.83% है।
- उत्पादन पैटर्न: कपास उत्पादन का अधिकांश हिस्सा 9 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों से आता है, जिनमें तीन विविध कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में बाँटा गया है, जो इस प्रकार हैं:
 - उत्तरी क्षेत्र: पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
 - मध्य क्षेत्र: गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
 - दक्षिणी क्षेत्र: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक।
- उपभोक्ता: 311 लाख गॉट (5.29 मिलियन मीट्रिक टन) की अनुमानित खपत के साथ भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।
 - यह विश्व कपास की खपत 1399 लाख गॉट (23.79 मिलियन मीट्रिक टन) का 22.24% है।
- कपास का आयात और निर्यात: भारत कपास के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 में 528 लाख गॉट (8.98 मिलियन मीट्रिक टन) के साथ विश्व निर्यात का 6% हिस्सा रखता है।
 - भारत में कपास की कुल खपत का 10% से भी कम कपड़ा उद्योग द्वारा अपनी विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिये आयात किया जाता है।

कपास क्षेत्र के विकास हेतु उठाए गए कदम

- [न्यूनतम समर्थन मूल्य \(MSP\) पर कपास की खरीद](#)
- [मोबाइल ऐप "कोट-एली"](#)
- [कसतूरी कॉटन इंडिया](#)
- [पीएम मतिर योजना](#)

भारत के कपास क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियाँ और आगे की राह क्या हैं?

- **कपास क्षेत्र को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ:**
 - **कीट और रोग संक्रमण:** किसानों को नियमित रूप से [पकि बॉलवर्म](#) जैसे कीट के हमले का सामना करना पड़ता है।
 - यह **कीट कपास की खेती के लिये प्रमुख चुनौती** बन गया है क्योंकि यह बीटी प्रोटीन के प्रति प्रतिरोधी हो गया है, जिससे इसके समाधान हेतु विविध एवं अनुकूली कीट प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता है।
 - **स्वास्थ्य समस्याएँ:** कृषि कार्य के दौरान कीटनाशकों के संपर्क में किसानों के आने से **इनमेंवेषिकता, श्वसन संबंधी समस्याएँ, त्वचा एवं आँखों में जलन तथा दौरे और यहाँ तक कि इनकी मृत्यु** भी हो सकती है।
 - दीर्घकालिक स्तर पर कीटनाशकों के संपर्क में रहने से [पार्कसिंस रोग](#), अस्थमा, मानसिक बीमारी एवं कैंसर हो सकता है।
 - **असंगठित क्षेत्र:** भारत का 90% से अधिक बुनाई उद्योग असंगठित होने के साथ यहाँ अन्य एशियाई देशों की तुलना में अपर्याप्त बुनयादी ढाँचा है, जिससे इसकी प्रगति में बाधा आती है।
 - **मैनुअल श्रम:** वस्त्र उद्योग में **स्वचालन को अपनाने की गति धीमी** होने के साथ यह क्षेत्र श्रम-प्रधान बना हुआ है जिससे अकुशलता के साथ उत्पादकता सीमित रहती है।
 - **तकनीक को अपनाने की गति धीमी होने** के साथ बुनयादी ढाँचे के अभाव से उद्योग की समग्र दक्षता एवं विकास पर प्रभाव पड़ता है।
 - **उद्योग वखिंडन:** परिधान उद्योग का केवल 5% संगठित है, जिससे इसकी **लाभप्रदता एवं दक्षता प्रभावित** होती है।
 - इससे संबंधित 70% श्रमिकों के पास **औपचारिक शिक्षा का अभाव** होने से उद्योग के विकास के अवसर सीमित होते हैं।
 - **जल की बर्बादी:** भारतीय वस्त्र उद्योग में **जल की काफी बर्बादी** होती है, इसके दीर्घकालिक परिणामों से बचने के लिये इसके रणनीतिक उपयोग की आवश्यकता है।

आगे की राह

- **एकीकृत कीट प्रबंधन:** [एकीकृत कीट प्रबंधन \(IPM\) रणनीतियों](#) (जिनमें कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के कर्म में कीटों के प्राकृतिक नियंत्रण के साथ लाभकारी कीटों को बढ़ावा देना शामिल है) को बढ़ावा देना चाहिए।
- **उत्पाद संवर्द्धन:** कपास फाइबर के प्रसंस्करण हेतु **स्थानीय कपास प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना** करके मूल्य संवर्द्धन को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे न केवल रोजगार का सृजन होगा बल्कि कपास आपूर्ति शृंखला के मूल्य में वृद्धि भी होगी।
- **उद्योग का आधुनिकीकरण:** इसके प्रसंस्करण को आधुनिक बनाने, दक्षता में सुधार करने एवं वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने हेतु [प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना \(TUFS\)](#) और [PM मेगा टेकस्टाइल पार्क \(PM-MITRA\)](#) जैसी पहलों का लाभ उठाना चाहिए।

भारत में कपास उद्योग में बाल श्रम के क्या कारण और समाधान हैं?

- **कारण:**
 - **सस्ती और अनुसरति श्रम:** बच्चों को **प्रायः वयस्कों की तुलना में कम भुगतान** किया जाता है (या बिना भुगतान के) साथ ही उनकी **सौदाकारी शक्ति कमजोर** होती है और उन्हें प्रायः आज्ञाकारी कर्मचारी माना जाता है।
 - **'फुर्तीली उंगलियाँ (Nimble Fingers)'** **मिथक:** नयिकता दावा करते हैं कि क्रॉस-परागण, वपुंसन और हाथ द्वारा परागण के कार्य **त्तुरुण लड़कियों द्वारा सबसे अच्छे तरीके से** किये जाते हैं।
 - ऐसी धारणा है कि **बच्चों के छोटे हाथ और शरीर खरपतवार** निकालने जैसे कार्यों के लिये बेहतर होते हैं।
 - **अकुशल कार्य:** कपास की कृषि बहुत हद तक अकुशल कार्य है जहाँ **छोटे कद और चपलता** जैसी कुछ शारीरिक विशेषताएँ बाल श्रम की माँग को बढ़ाती हैं।
 - **सामाजिक मानदंड:** बच्चों से प्रायः अपने माता-पिता के नकशेकदम पर चलने की उम्मीद की जाती है और उन्हें प्रायः कम उम्र में परिवार के अन्य सदस्यों की **'मदद'** करने की अपेक्षा की जाती है।
- **समाधान:**
 - **राष्ट्रीय अधिनियम:** सरकारों को स्व-अनुमोदित **अंतरराष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों** की विषय-वस्तु को राष्ट्रीय अधिनियम में रूपांतरित करना चाहिए।
 - इसके अतिरिक्त, सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रम कानूनों का क्रियान्वयन और अनुपालन हो।
 - **संघारणीय व्यावसायिक व्यवहार:** कम्पनियों को **आपूर्तिकर्त्ताओं और उप-ठेकेदारों** के स्तर सहित अपने सभी व्यावसायिक कार्यों में **उचित परिश्रम** के साथ कार्य करना चाहिए।

- इस प्रयास में बाल श्रम को समाप्त करने और रोकने को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- **पारदर्शिता और पता लगाने की योग्यता:** ब्रांडों और खुदरा विक्रेताओं को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को अच्छी तरह से समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
 - बाल श्रम का अधिकांश हिस्सा **फ्रीलांसरों और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वालों** द्वारा किया जाता है।
 - आपूर्ति श्रृंखला के खरीद पक्ष पर सरकारों को **बाल श्रम से बने उत्पादों के आयात पर अंकुश** लगाना चाहिये।
- **कार्यबल का प्रतस्थापन:** कुशल कामकाज के लिये **श्रम को मशीनों से प्रतस्थापित** किया जा सकता है। प्रतस्थापित श्रमशक्ति को अन्य आर्थिक क्षेत्रों में **रोज़गार योग्य** बनाने हेतु **पुनः कुशल** बनाया जाना चाहिये।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न. भारत में वस्त्र उद्योग के विकास हेतु कपास की कृषि के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।

प्रश्न. भारत में कपास क्षेत्र में बाल श्रम के प्रचलन के क्या कारण हैं? कपास क्षेत्र के सतत विकास के लिये बाल श्रम पर किस प्रकार अंकुश लगाया जा सकता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. भारत में काली कपास मृदा की रचना नमिनलखिति में से किसके अपक्षयण से हुई है? (2021)

- भूरी वन मृदा
- वदिरी (फशिर) ज्वालामुखीय चट्टान
- ग्रेनाइट और शसिट
- शेल और चूना-पत्थर

उत्तर: (b)

प्रश्न. नमिनलखिति वशिषताएँ भारत के एक राज्य की वशिषिताएँ हैं: (2011)

- उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्द्धशुष्क है।
- उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है।
- उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है।

उपर्युक्त सभी वशिषिताएँ नमिनलखिति में से किस एक राज्य में पाई जाती हैं?

- आंध्र प्रदेश
- गुजरात
- कर्नाटक
- तमलिनाडु

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. भारत में अत्यधिक विकेंद्रीकृत सूती वस्त्र उद्योग के लिये कारकों का वशिलेषण कीजिये। (2013)